फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत........ बलराम .... मुकाम........ ओमप्रकाश वगैरा

दावा – स्थायी निषेधाज्ञा .... बनाम .... /2019

किस्म मुकदमा........ नं. .... सन् 05/19

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.01.2019	अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कार्यलय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल की जाकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 25.2.019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	
25/2/19	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी सा. भ्रमण / अवकाश / चुनाव कार्य / अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशिका की पालना मे आगामी दिनांक 16/4/19 को पेश हो।	
11/4/019	वकील वादी उप. पक्षकारों ने आपसी सहमति से राजीनामा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पेश किया। राजीनामा के साथ प्राप्त इकरारनामा दि. 5.3.019 के अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया है। पक्षकारों को सुना तथा राजीनामा सहित पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत पक्षकारों के अब कोई विवाद नहीं है इसलिये सम्बन्धित के विवाद नहीं है एवं दुरुस्त स्वीकार करते हैं। राजीनामा के अनुसार अपनी-अपनी हद व हिस्से की भूमि पर काबिज रहते तथा अन्य की भूमि में मदाखलत, बेजादखल नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा-हमेशा के लिये पाबन्द किया जाता है। डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियत रिकार्ड हो। (जगदीश शर्मा) RAS उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)	

Scanned by CamScanner